# FORM No. III

APP-A
Crim-I

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ......उपखण्ड अधिकारी...... मुकाम ......कोटा......

......सरकार...... बनाम ......गुरबचन सिंह......

किस्म मुकदमा ......LR Act - 136...... नं. ......49...... सन् ......2025......

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 6/6/25 | राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक ......12/6/25...... को पेश हो। | |
| 12/6/25 | पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम नांदना उर्फ बड़गांव के खाता संख्या 221 पर न्यायालय आदेश के नामा0 संख्या 1091 दिनांक 23.05.2025 द्वारा जसविन्दर सिंह पुत्र निछत्तर सिंह के नाम के स्थान पर गुरबचन सिंह, नरेन्द्र सिंह व हरचरण सिंह पुत्रान निछत्तर सिंह दर्ज हुआ जबकि गुरबचन सिंह, नरेन्द्र सिंह व हरचरण सिंह पुत्रान निछत्तर सिंह की एक प्रविष्टि पूर्व से ही दर्ज है। जिसे दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। न्यायालय आदेश के नामा0 संख्या 1091 दिनांक 23.05.2025 से गुरबचन सिंह, नरेन्द्र सिंह व हरचरण सिंह पुत्रान निछत्तर सिंह की दो बार एन्ट्री हो गई है जिससे खाता अपवादित हो गया है। तथा अन्य कार्य सीमित हो गया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें।<br><br>पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि ग्राम नांदना उर्फ बड़गांव के खाता संख्या 221 पर न्यायालय आदेश के नामा0 संख्या 1091 दिनांक 23.05.2025 द्वारा जसविन्दर सिंह पुत्र निछत्तर सिंह के नाम के स्थान पर गुरबचन सिंह, नरेन्द्र सिंह व हरचरण सिंह पुत्रान निछत्तर सिंह दर्ज हो गया है। उक्त त्रुटी ऑनलाईन म्युटेशन के कारण हुई है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को ग्राम नांदना उर्फ बड़गांव के खाता संख्या 221 में गुरबचन सिंह पुत्र निछतर सिंह हि0 13/513, गुरबचन सिंह पुत्र निछतर सिंह हि0 1/171, नरेन्द्र सिंह पुत्र निछतर सिंह हि0 1/171, नरेन्द्र सिंह पुत्र निछतर सिंह हि0 1/171 एवं हरचरण सिंह पुत्र निछतर सिंह हि0 13/513, हरचरण सिंह पुत्र निछतर सिंह हि0 13/513 के स्थान पर गुरबचन सिंह पुत्र निछतर सिंह हि0 16/513, नरेन्द्र सिंह पुत्र निछतर सिंह हि0 16/513 एवं हरचरण सिंह पुत्र निछतर सिंह हि0 16/513 दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें।<br>उक्त निर्णय आज दिनांक ......12/6/25...... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।<br><br>12/6/25<br>उपखण्ड अधिकारी कोटा | |